...ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

...यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

बोदूराम वगैरा बनाम संज्या देवी वगैरा

मुकदमा दावा मुकदमा नं. 135 सन् 2019

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
..08/19	वकील वादीगण श्री रामावतार बिजारणिया ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/2019 को पेश हो।	बोदूराम सैनी अमरचन्द सैनी बाबूलाल सैनी अर्जुन मल संगीता चन्द [illegible] कैलाशचन्द
...8/19	21/8/19 पत्रावली पेश हुई वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान वकील श्री रामावतार बिजारणियां ने की तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 की पहचान एड० श्री बसन्त वर्मा ने की। राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। कुल समझ कर पक्षकारान ने राजीनामा को सही होना स्वीकार किया। बाद स्वीकार राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली तथा शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी नं० 4 5 तरतीब कार्यवाही नं० 5 हेतु दिनांक 28-8-19 को पेश हो।	नि. संज्या देवी नि. रतनदेवी देवी नि. सन्तोष देवी
28/8/19	पत्रावली पेश हुई। प्रति वकील वादीगण	

उपस्थित। प्रतिवादी स० 4 व तरतीबी प्रतिवादी स० 5 की तामील लोटकर आयी अवलोकन किया गया। प्रतिवादी स० 4 की तामील उनके प्रतिनीधि द्वारा प्राप्त की गयी जो सम्यक है तथा प्रतिवादी स० 5 की तामिल इनकारी से हुई है व जिस पर दो ग्वाहान के हस्ताक्षर भी करवाये गये हैं। इनको आवाजे दिलायी गयी बावजूद आवाजे प्रतिवादी स० 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण स 5 अनुपस्थित रहे अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादीगण द्वारा सपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

वकील वादीगण ने बहस हेतु निवेदन किया अत: बहस वाद पक्ष सुनी गयी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद कथनो को दोहराते हुए कथन किया विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 5 के पिता दुलीचन्द पुत्र नानू से विरासत मे आयी भूमियां है जिन्हे वादीगण व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी स० 5 के पिता दुलीचन्द पुत्र नानू का नाम जमाबन्दी 2074-2077 के खाता स० 73 तथा तथा खाता स० नया 74 में दुलाराम पुत्र नानू है जो सुरूवात योग्य होने से दुरुस्त

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	किया जावे साथ ही वादीगण व प्रतिवादी स० 1 ता 3 की ओर से राजीनामा पेश किया जा चुका है। वादीगण अपने मृतक पिता दुलीचन्द पुत्र नानू की खातेदारी अपने व तरमीमी प्रतिवादी स० 5 के बहिसा नाम करवाना चाहते है तथा अपने मृतक पिता के नाम मे शामिल करवाना चाहते साथ ही वादीगण अपनी बहिना का नाम हटाना करवाना चाहते है जिस बाबत उक्त बहिना ने राजीनामा भी पेश कर दिया है अत: मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद पक्ष स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। हमने बहस वकील वादीगण सुनी तथा उस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर पेश राजीनामा व पेश शुदा जमाबन्दीयो का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वाद ग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरमीमी प्रतिवादी स० 5 की पैत्रिक भूमियां है। वादीगण अपने पिता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	के नाम की भूमि को अपने नाम करवाने के अधिकारी है। तथा जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता सं० नया क्रमशः 39 329, 154, 152, 151, 328, 153 के अनुसार अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2074-2077 के खाता सं० नया 73 की जमाबन्दी मे अंकित गलत नाम दुला पुत्र नाथू को दुरुस्त तथा जमाबन्दी सं० 2074-2077 के खाता सं० 34 नया की जमाबन्दी मे इलाराम पुत्र नानूराम के स्थान पर अन्य भूमियो की खातेदारी अनुसार ही दुलीचन्द पुत्र नानू दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपनी भूमि का नाम दुरुस्त करवाना चाहते है। जिसके हक त्याग स्टाम्प ड्यूटी चोरी है। अतः स्टाम्प ड्यूटी चुकाने पर खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद पत्र बकाए राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर बकाए राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	जिनके हुक्म की तालीम में जारी हुए
	राजीनामा में वर्णित भूमियों का प्रतिवादिया सं० 1 ता 3 से हक त्याग शुल्क प्राप्त करने बाद ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी भांति डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो कर तकमील दाखिल दफ्तर हो। 20/8/19 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला .मुकाम खण्डेला

बइजलास **श्री महीपाल सिंह** (आर.ए.एस)

1 बोदूराम 2. उंकारमल 3. बाबुलाल 4. भूदरमल 5.मंगलचंद 6. राधेश्याम 7. कैलाश पुत्रगण दुलीचन्द समस्त जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 11 जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर रास्थान – **(वादीगण)**

बनाम

1 संज्या देवी 2. सावित्री देवी 3.संतोष देवी पुत्रिया दुलीचन्द समस्त जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 11 जुगलपुरा खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

4 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

5 सोहनलाल पुत्र दुलीचन्द समस्त जाति सैनी निवासी वार्ड नं. 11 जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान। **(प्रतिवादीगण)**

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूरुती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 135 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रामावतार बिजारणियां** एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू **बरूए राजीनामा** मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वादीगण का वाद पत्र बरूए राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि राजीनामा में वर्णित भूमियों का प्रतिवादिया सं. 1 ता 3 के हक त्याग शुल्क प्राप्त करने के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे ।**

निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28** माह **08** सन **2019** को जारी की गई।

दस्तखत.......[signature]......
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner